प्रेस नोट थाना पुवायाँ

सराहनीय कार्य दिनांक-11.12.2025

"थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने से सम्बन्धित अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराध रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को किया गया सकुशल बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30/10/2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना हाजा पर लिखित तहरीर देकर अवगत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 0787/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था। घटना की सूचना तत्काल अधिकारीगण को दी गयी। उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटना का शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित कर टीम का गठन किया गया।

दिनांक 30.10.2025 को वादिनी द्वारा थाना पुवायाँ पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी की लगभग 15 वर्ष की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। उक्त प्रकरण में थाना पुवायाँ पर मु0अ0सं0 0787/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई। उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित करते हुए टीम का गठन किया गया। दिनांक 11.12.2025 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे से संबंधित अपहृता/पीड़िता एक लड़के के साथ मोहम्मदी मोड़, कस्बा पुवायाँ पर खड़ी है। सूचना को तत्काल दूरभाष के माध्यम से अपहृता के परिजनों को अवगत कराया गया, जिस पर परिजन मौके पर पहुँचे। पुलिस टीम द्वारा परिजनों को साथ लेकर बताए गए स्थान पर पहुँचा गया, जहाँ पीड़िता के परिजनों द्वारा पीड़िता की पहचान की गयी। पीड़िता से उसके साथ मौजूद लड़के के संबंध में पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वह भूपेन्द्र के साथ मंदिर में शादी कर चुकी है तथा उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाए हैं। मौके पर मौजूद लड़के से नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम भूपेन्द्र पुत्र स्व० मुंशीराम निवासी ग्राम छव्वा, थाना कोसली, जनपद रेवाड़ी, राज्य हरियाणा बताया तथा अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करने लगा। पीड़िता को महिला मुख्य आरक्षी द्वारा अपने सुपुर्द लिया गया तथा अभियुक्त भूपेन्द्र उपरोक्त को उसके अपराध धारा से अवगत कराते हुए समय करीब 10:35 बजे मोहम्मदी मोड़, थाना पुवायाँ से हिरासत पुलिस में लिया गया। पीड़िता एवं अभियुक्त दोनों को थाने लाकर विधि अनुसार दाखिल किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उपरांत अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

भूपेन्द्र पुत्र स्व0 मुंशीराम निवासी ग्राम छव्वा थाना कोसली जनपद रेवाडी राज्य हरियाणा उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय-

मोहम्मदी मोड़, थाना पुवायाँ से दिनांक 11.12.2025 को समय करीब 10.35 बजे।

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी-

मु0अ0सं0 787/25 अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 787/25 अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री विशाल थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

2.म0हे0का0 588 विनोद कुमारी थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

3.का0 1870 विजेन्द्र सिंह थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर